52

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स./ 4145 /जी.एस.
दिनांक 29/6/ २००४

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

महोदय,

आपके पत्र संख्या- रू०वि०/सम्ब/८७(१)२००४/५७७-७६ दिनांक २४.४.२००४ के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १६७३ की धारा ३७(२) के सुसंगत प्रावधानों के अधीन स्प्रिंगडेल महिला महाविद्यालय बरेली को स्नातक स्तर पर बी.एड. पाठ्यक्रम में सौ सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक १.७.२००४ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१ संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो का अनुपालन करेगी।

२. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/ सत्तर-२- २००३-१६(६२)/ २००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।

३. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १६७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, १८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
४. सचिव, स्प्रिंगडेल महिला महाविद्यालय बरेली
५. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ४६-ए, शान्तिपथ, तिलक नगर, जयपुर।

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव